

कार्यालय नगर पंचायत रोसड़ा

पत्रांक 1741 दिनांक 3/8/2018

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत रोसड़ा।

सेवा में,
महालेखाकार लेखा परीक्षा
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय,
बिहार सामाजिक प्रक्षेत्र-1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना।

द्वारा : लेखा परीक्षा अधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, सोशल सेक्टर-1 बिहार, पटना।

विषय: नगर पंचायत रोसड़ा में निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-241/2009-10 (अवधि 2006-07 से 2008-09 तक) का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग : कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा का शाखा के पत्रांक -14303/836 दिनांक-09.12.2010

महाशय,


उपर्युक्त विषयक नगर पंचायत रोसड़ा के अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन सं०-241/2009-10 (अवधि 2006-07 से 2008-09 तक) के आपत्ति कंडिकाओं के समाधान एवं सुझाव के आलोक में अनुपालन संबंधित कृत कारवाई एवं संबंधित आशय का साक्ष्य संलग्न कर कंडिकावार प्रतिवेदन समर्पित की जाती है।
अनुरोध है कि प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:
अनुपालन प्रतिवेदन
एवं कंडिकावार संबंधित साक्ष्य की प्रति।

विश्वासभाजन
60
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत रोसड़ा।

पत्रांक 1741 दिनांक 3/8/2018

प्रतिलिपि : सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कारवाई हेतु प्रेषित।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा।



निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-241/2009-10

अवधि 2006-07 से 2008-09

निकाय का नाम : नगर पंचायत रोसड़ा, (समस्तीपुर)

अंकेक्षण आपत्ति अनुपालन प्रतिवेदन

कंडिका	आपत्ति	अनुपालन की स्थिति/साक्ष्य
1	प्रस्तावना	N/A
2	प्रशासन	N/A
3	पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन	नगर पंचायत रोसड़ा में पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन के लंबित अनुपालन संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन हुआ है, अथवा नहीं। प्रश्नगत अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-10/1995-96, प्रतिवेदन सं०-16/1996-97, प्रतिवेदन सं०-33/2000-01 एवं प्रतिवेदन सं०-557/2006-07 परिशिष्ट सहित महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना से प्राप्त किये जाने की कारवाई की जा रही है। अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट सहित उपलब्ध होने के उपरांत ही अनुपालन संबंधी कारवाई संभव हो सकेगा। इस संबंधी कारवाई की जा रही है। साक्ष्य, महालेखाकार, बिहार पटना को प्रेषित पत्र की प्रति।
4	परिशिष्ट II में दर्शाये गये अभिलेख/पंजी का संधारण व प्रस्तुतीकरण।	परिशिष्ट -II में दर्शाये गयी अभिलेख/पंजी के संबंध में स्थिति प्रतिवेदित करना है कि वर्तमान में निकाय में मुख्य रोकड़वही, सहायक रोकड़वही, कोषागार पासबुक, अग्रिम पंजी, बैंक पासबुक, सेवा पुस्तिका, कोषागार आवंटन पंजी जमा चालान बुक, होल्डिंग वसूली पंजी, भविष्य निधि कटौति व जमा पंजी आदि संधारित है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट में वर्णित अभिलेख के संबंध में ज्ञात हुआ है कि पूर्व में कई अभिलेख संधारित किये गये थे, जो पूर्व के कर्मों के सेवानिवृत्त होने एवं मृत होने की स्थिति में उक्त अभिलेख, पंजी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इस संबंध में पुराने अभिलेख/पंजियों की छानबीन की जा रही है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के सुझाव के आलोक में कार्यालय के पत्रांक-1417 दिनांक-21.06.2018 द्वारा वर्तमान लेखापाल सह प्रधान सहायक को परिशिष्ट- II में वर्णित सभी अभिलेख संधारित कर प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया है। साक्ष्य, संधारित पंजी/अभिलेख की प्रति। प्रधान सहायक को निदेशित पत्र की प्रति।
5	कोषागार पासबुक एवं रोकड़वही की अन्तर राशि का Reconciliation.	कोषागार पासबुक के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गयी दिनांक-31.03.2009 की अन्तशेष राशि-93,48,771.16 है जबकि प्राप्ति एवं व्यय के विवरणी अनुसार अन्तशेष राशि-60,63,888.16 होना चाहिए, इस प्रकार अन्तर राशि-32,84,883.00 मात्र का रीकन्साईलेशन हेतु निर्देशित किया गया है, परन्तु कोषागार पासबुक जो दिनांक-01.01.2007 से उपलब्ध है, के परिशिष्ट के आलोक में कोषागार पासबुक के प्रविष्टि का समाधान विवरणी निम्नवत है:-

3/1/09
कार्यालयिक प्रदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा
(समस्तीपुर)

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	कुल प्राप्ति	कुल	निकासी राशि	शेष राशि
2006-07 (01.01.07 से 31.03.07)	836994.16	1900157.00	2737151.16	1341202.00	1395949.16
2007-08	1395949.16	11949048.00	13344997.16	6822822.00	6522175.16
2008-09	6522175.16	9399063.00	15921238.16	6257637.00	9663601.16

नोट - माह सितंबर 2008 में निर्गत चेक सं०-A464580/22-08-08 Rs.-50000/-
एवं चेक सं०- A464581/02-09-08 Rs.- 56657/-
Total- 106657/-

मात्र की राशि कोषागार पासबुक में व्यय शीर्ष से नहीं घटायी गयी है।
फलतः दिनांक-31.03.2009 का कोषागार पासबुक अन्तशेष मो०-
9770258.00 मात्र कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित है।

प्रतीत होता है कि कंडिका-5 में वर्णित कोषागार विनिमय की
विवरणी त्रुटिपूर्ण है जिसका समाधान संलग्न कोषागार पासबुक की प्रति
से किया जाना उचित होगा।

साक्ष्य- कोषागार पासबुक की छायाप्रति जनवरी-2007 से लेकर
मार्च-2009 तक।


6

वित्तीय अनुपालन की स्थिति :-


कंडिक I सं०	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	वसूल/ सामंजन राशि	वसूली हेतु शेष राशि	अभियुक्ति
7 (2)	54600.00	-	54600.00	स्कीम-01/2005-06
(3)	192955.00	-	192955.00	स्कीम-03/2005-06
(4)	64071.00	-	64071.00	स्कीम-04/2005-06
17(A)	54380.00	54380.00	-	
(B)	468736.00	470129.00	-	
(C)	2760.00	2760.00	-	
(D)	88253.00	88253.00	-	
18	939952.00	-	939952.00	साक्ष्य नहीं है।
19(i)	2016.00	-	2016.00	
(ii)	2101.00	-	2101.00	साक्ष्य नहीं है।
(iii)	4940.00	-	4940.00	
(iv)	2646.00	-	2646.00	
23 (i)	31805.00	31805.00	-	
(ii)	268467.00	268467.00	-	
(iii)	757822.00	757822.00	-	
25	19215.00	-	19215.00	नोटिस निर्गत।
कुल योग	2954719.00	1673616.00	1282496.00	
27	2784240.00	2005983.00	778257.00	नीलाम पत्र वाद दायर
30	636656.00	636656.00	-	सेवापुस्तिका साक्ष्य उपलब्ध।
33	2811799.00	2282298.00	529501.00	नोटिस निर्गत।
20	808000.00	498000.00	310000.00	-
18	939952.00	-	939952.00	साक्ष्य अनुपलब्ध।
कुल योग	10935366.00	7096553.00	3840206.00	

8/8/2009
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत रोसड़ा
(समस्तीपुर)


7 (1)(A)	A/c-7815 NSDP / SJSRY Different closing balance September 2006 Rs.-240000 Transfer of fund to other Separate Bank A/c	<table border="0"> <tr> <td>1. USEP/A/c No-34085</td> <td>Rs-225000.00</td> <td>(SBI)</td> </tr> <tr> <td>2. USEP/A/c No-7814</td> <td>Rs-242711.00</td> <td>(CBI)</td> </tr> <tr> <td>3. USEP training/A/c No-10604-</td> <td>Rs-152000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. A/c-9599</td> <td>Rs- 55942.00</td> <td>(CBI Rosera)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Total - 675653.00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">राशि नये बैंक खाते में रखे जाना :</p> <p>A/c सं0-7815 से SJSRY मद के घटकों की राशि विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में Separate Bank खाता खोलते हुए घटकवार राशि बैंक खाते में स्थानांतरित की गयी है, ताकि SJSRY मद अन्तर्गत प्रदत्त आवंटन से घटकवार विनिमय सुनिश्चित हो सके, जिससे घटकवार राशि की उपयोगिता एवं प्राप्त ब्याज राशि की प्रविष्टि स्पष्ट रूप में संधारित हो सके।</p>	1. USEP/A/c No-34085	Rs-225000.00	(SBI)	2. USEP/A/c No-7814	Rs-242711.00	(CBI)	3. USEP training/A/c No-10604-	Rs-152000.00		4. A/c-9599	Rs- 55942.00	(CBI Rosera)	Total - 675653.00		
1. USEP/A/c No-34085	Rs-225000.00	(SBI)															
2. USEP/A/c No-7814	Rs-242711.00	(CBI)															
3. USEP training/A/c No-10604-	Rs-152000.00																
4. A/c-9599	Rs- 55942.00	(CBI Rosera)															
Total - 675653.00																	
(B)	USEP/A/c No - 7815 UIDSSMT	<p>UIDSSMT मद में विभाग द्वारा दिनांक-04.09.2008 को मो0-140790250 मात्र आवंटित किया गया, परन्तु UIDSSMT अन्तर्गत का कार्यान्वयन बिहार आधारभूत संरचना निगम लि0 बुडको द्वारा कराये जाने के कारण राशि को विभागीय निर्देशानुसार मो0-140790250.00 मात्र चेक सं0-001951 दिनांक-17.03.2012 द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना को स्थानांतरित की गयी है।</p> <p>UIDSSMT मद की सहायक रोकड़बही संधारित है। साक्ष्य-रोकड़बही की छायाप्रति संलग्न।</p>															
(C)	S.J.S.R.Y USEP का कैशबुक नहीं लिखा जाना।	<p>S.J.S.R.Y USEP A/c-7814 संबंधित सहायक रोकड़बही संधारित की जा चुकी है जिसमें अंकेक्षण उपरांत दिनांक-01.09.2009 का अन्त शेष प्राप्त ब्याज राशि सहित मो0-296350.39 मात्र है। साक्ष्य-सबसिडियरी पंजी की छायाप्रति संलग्न।</p>															
(D) से (G) तक	<p>1. Bank A/c No-3563 SKGB-Rosera का पासबुक प्रस्तुत नहीं किया जाना।</p> <p>2. Non completion of Scheme under IDSMT.</p>	<p>1. बैंक पासबुक सं0-3563 SKGB Rosera का पासबुक संधारित किया जा चुका है।</p> <p>अंकेक्षण प्रतिवेदन के सुझाव के आलोक में प्रतिवेदित करना है कि तात्कालीन अवधि में उत्पन्न समस्या के कारण योजना कार्य अंकेक्षण अवधि तक पूर्ण नहीं कराया जा सका था, परन्तु सुझाव के आलोक में IDSMT योजना अन्तर्गत तात्कालीन समय में प्रारंभ की गयी सभी योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है।</p>															
7 (1)	<u>Audit objection</u> Under para 7(1)- non-completion of scheme	<p>अंकेक्षण आपत्ति एवं सुझाव के आलोक में योजना सं0-01/2005-06 पूर्ण किया जा चुका है।</p> <p>अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में योजना सभी 06 योजना कार्य पूर्ण कराने में हुए विलंब के कारण उक्त योजना से नगर पंचायत को होने वाले राजस्व लाभ से बंचित रहना स्वीकार्य है, परन्तु इस संबंध में स्पष्ट करना है कि योजना कार्यान्वयन में हुए विलंब के तात्कालीन कारण थे, परन्तु विलंब के तात्कालीन कारण की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी है यद्यपि सभी योजना पूर्ण किये जा चुके हैं।</p>															
7 (2)	Scheme No-01/2005-06 के अभिकर्ता श्री श्यामसुन्दर झा से मो0-54600/- मात्र की वसूली।	<p>अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में योजना सं0- Scheme No-01/2005-06 के अभिकर्ता श्री श्यामसुन्दर झा, सफाई जमादार नगर पंचायत रोसड़ा को 54600/- मात्र कार्यालय में जमा करने हेतु नोटिस किया गया है। राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद नियमानुसार दायर किये जाने की कारवाई की जा रही है।</p>															
7 (3)	Scheme No-03/2005-06 के अभिकर्ता श्री शाशि शेखर प्रसाद से मो0-192955/- मात्र की वसूली।	<p>अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में योजना सं0- Scheme No-03/2005-06 के अभिकर्ता श्री शाशि शेखर प्रसाद, कर दारोगा नगर पंचायत रोसड़ा को प्रतिवेदन में वसूली हेतु सुझायी गयी राशि मो0-192955.00 मात्र जमा करने हेतु नोटिस किया गया है।</p>															


 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत रोसड़ा
 (समस्तीपुर)

		राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद नियमानुसार दायर किये जाने की कारवाई की जा रही है।
7 (4)	Scheme No-04/2005-06 के अभिकर्ता श्री शाशि शेखर प्रसाद से मो0-64071/- मात्र की वसूली।	अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में योजना सं0- Scheme No-03/2005-06 के अभिकर्ता श्री शाशि शेखर प्रसाद, कर दारोगा नगर पंचायत रोसड़ा को प्रतिवेदन में वसूली हेतु सुझायी गयी राशि मो0-64071.00 मात्र जमा करने हेतु नोटिस किया गया है। राशि वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद नियमानुसार दायर किये जाने की कारवाई की जा रही है।
7	(ii) Bank A/c एवं सबसिडियरी रीकन्साईलेशन	बैंक खाता एवं सबसिडियरी पंजी का संधारण किया जा चुका है। साक्ष्य-बैंक खाता एवं सबसिडियरी पंजी की छायाप्रति संलग्न।
8	रोकड़बही संधारण में त्रुटि :-	अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्ति के आलोक में मुख्य रोकड़बही का अवलोकन किया गया जिसमें वर्णित त्रुटि सत्य पाया गया। वर्णित लेखा संधारण त्रुटि के संबंध में वर्तमान लेखापाल सह प्रधान सहायक को भविष्य में वर्णित त्रुटि यथा cutting, over writing नहीं करने, आय व व्यय का मदवार विवरणी तैयार करने, प्राप्ति संबंधित मद /व्यक्ति का नाम अंकित करने एवं लेखा बही को बैंक पासबुक एवं कोषागार पासबुक से प्रतिमाह के अन्त में रीकन्साईलेशन मिलान किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। रोकड़बही पर त्रैमासिक, मासिक एवं वार्षिक प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी अंकित करने हेतु भी निदेशित किया गया है। भविष्य में प्रतिवेदन में अंकित।
9	कोषागार खाते के अतिरिक्त अन्य बैंक खातों का संचालन।	अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका-09 के आलोक में प्रतिवेदित करना है कि प्रधान सहायक सह लेखापाल के द्वारा बैंक में संचालित खाता के संबंध में बताया गया कि तात्कालीन अवधि में विभाग द्वारा S.J.S.R.Y मद, IDSMT मद, UIDSSMT मद, NSDP मद, हेतु बैंको में अलग से खाता खोलकर राशि का विनिमय किया जाय ताकि मदवार जमा की गयी राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि उसी मद के संचालित खाता में जमा रह सके साथ ही प्राप्ति एवं व्यय को भी अलग से मद वार संधारित की जा सके। इस आलोक में ही तात्कालीन परिस्थिति में उक्त मदों हेतु Separate बैंक खाता खोला गया एवं उनका संचालन किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त करने की कृपा की जाय।
10	आन्तरिक अंकेक्षण संबंधी आपत्ति।	कंडिका-10 में प्रतिवेदन में की गयी आंतरिक अंकेक्षण के संबंध में आपत्ति/टिप्पणी के संदर्भ में प्रतिवेदन करना है कि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-862 दिनांक-21.02.2008 द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2007 के अध्याय xiii के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संधारित निजी अंकेक्षण से आन्तरिक अंकेक्षण कराने हेतु निदेशित किया गया, पुनः सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक-3891/09.08.2017 द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अंकेक्षण कराने हेतु निदेशित है। विदित हो कि विभाग द्वारा पूर्व में आन्तरिक अंकेक्षण के प्रतिवेदन के आलोक में निकाय को मैचिंग ग्रांट देने का प्रावधान था, जिसके लिए विभाग द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण कराते हुए प्रतिवेदन की मांग की जाती रही है। इस आलोक में ही चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण कार्य कराया गया है। अभिलेख व रोकड़बही में तात्कालीन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि पदाधिकारी द्वारा रोकड़बही की जांच की जाती रही है।


 कार्यपालक नगर पंचायत रोसड़ा (समस्तपुर)

11	<p>बजट :- समय पर बजट तैयार नहीं किया जाना एवं अनुमोदन उपरांत विभाग को नहीं भेजा जाना।</p>	<p>साक्ष्य- विभाग से प्राप्त निर्देश पत्र की प्रति। अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि नगर पंचायत रोसड़ा का वित्तीय वर्ष- 2007-08 एवं 2008-09 का बजट निम्नवत तैयार कर बोर्ड से अनुमति उपरांत विभाग को भेजी गयी।</p>																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2007-08</th> <th>2008-09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Date of Budget preparation</td> <td>05.04.2007</td> <td>18.03.2008</td> </tr> <tr> <td>Date of passing by board</td> <td>10.04.2007</td> <td>03.05.2008</td> </tr> <tr> <td>Sending to Government</td> <td>12.04.2007</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2007-08	2008-09	Date of Budget preparation	05.04.2007	18.03.2008	Date of passing by board	10.04.2007	03.05.2008	Sending to Government	12.04.2007							
	2007-08	2008-09																		
Date of Budget preparation	05.04.2007	18.03.2008																		
Date of passing by board	10.04.2007	03.05.2008																		
Sending to Government	12.04.2007																			
		<p>वर्णित के आलोक में प्रतिवेदित करना है कि वर्ष-2008-09 के बजट को विभाग को भेजे जाने की तिथि ज्ञात नहीं हो सकी।</p>																		
		<p>अंकेक्षण प्रतिवेदन के सुझाव के अनुपालन में वर्तमान में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में बजट वर्ष-2018-19 हेतु तैयार कर बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।</p>																		
		<p>भविष्य में ससमय बजट अनुमोदन व विभाग को भेजे जाने हेतु प्राथमिकता के तौर पर यह कार्य निर्धारित है।</p>																		
		<p>साक्ष्य- बजट वर्ष-2018-19 की प्रति।</p>																		
12	<p>वार्षिक लेखा विवरणी (आय-व्यय विवरणी) तैयार नहीं किया जाना।</p>	<p>अंकेक्षण प्रतिवेदन- के अनुपालन में नगर पंचायत रोसड़ा के वित्तीय वर्ष-2007-08 एवं 2008-09 के वार्षिक आय-व्यय का विवरणी तैयार किया गया है, जो निम्नवत है :-</p>																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>आरंभिक शेष</th> <th>प्राप्ति</th> <th>कुल</th> <th>व्यय</th> <th>शेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007-08</td> <td>768054.00</td> <td>11949048.00</td> <td>12717102.00</td> <td>6821817.00</td> <td>5895285.00</td> </tr> <tr> <td>2008-09</td> <td>5895285.00</td> <td>9385565.00</td> <td>15280850.00</td> <td>6207637.00</td> <td>9073213.00</td> </tr> </tbody> </table>		आरंभिक शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	शेष	2007-08	768054.00	11949048.00	12717102.00	6821817.00	5895285.00	2008-09	5895285.00	9385565.00	15280850.00	6207637.00	9073213.00
	आरंभिक शेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	शेष															
2007-08	768054.00	11949048.00	12717102.00	6821817.00	5895285.00															
2008-09	5895285.00	9385565.00	15280850.00	6207637.00	9073213.00															
		<p>विवरणी की छायाप्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न।</p>																		
		<p>1. रोकड़बही में दिनांक-31.03.2008 का अन्तशेष- 5986081.00</p>																		
		<p>2. समाधान विवरणी में दिनांक-31.03.2008 का अंतशेष-5895285.00</p>																		
		<p>अन्तर राशि- 90796.00</p>																		
		<p>अन्तर राशि के संबंध में स्पष्ट करना है कि रोकड़बही के पृष्ठ सं०-15, माह अप्रैल-07 में व्यय शीर्ष के योग में मो०-90796:00 मात्र भूलवश अधिक अंकित की गयी है, जिसे अंकेक्षण द्वारा इंगित भी किया गया है।</p>																		
		<p>साक्ष्य-समाधान विवरणी 2007-08 एवं 2008-09 रोकड़बही पृष्ठ की छायाप्रति।</p>																		
13	<p>Government Grant</p>	<p>अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 13 में उल्लेखित बैंकखातों, कोषागार पासबुक एवं रोकड़ बही का मिलान किया गया। यह पाया गया है कि कंडिका में उल्लेखित सभी प्रविष्टि रोकड़बही, सहायक रोकड़बही, में अंकित है। बैंक पासबुक में प्राप्त आवंटन राशि की प्रविष्टि सहायक रोकड़ बही में की गयी है एवं पी०एल० खाते में प्राप्त आवंटन की प्रविष्टि मुख्य रोकड़ बही में की गयी है। अंकेक्षण आपत्ति के सुझाव के आलोक में सभी बैंकखाते एवं कोषागार खाते के विनिमय को नियमानुसार मुख्य रोकड़ बही में संधारित करने हेतु लेखापाल नगर पंचायत रोसड़ा को निदेशित किया गया है। अंकेक्षण सुझाव के अनुपालन की कारवाई की जा रही है।</p>																		
14	<p>Government loan</p>	<p>नगर पंचायत रोसड़ा के रोकड़बही के अवलोकन में पाया गया है कि वर्ष-2006-07 से 2008-2009 तक की अवधि में सरकार से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया है। कार्यालय में पूर्व से कोई ऋण पंजी संधारित नहीं है। इस स्थिति में</p>																		


 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर पंचायत रोसड़ा
 (समस्तीपुर)